न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —47 / 2022 (अपील)

GCMS No.- 2022/179

1. भंवरलाल आत्मज स्व0 नाथूलाल उर्फ नाथू जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व0 श्री महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. पवन आत्मज स्व0 श्री महावीर मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं अपीलान्ट नं0 2 श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व0 श्री महावीर जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटाा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूजी पत्नी श्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कादीहेडा पोस्ट जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. श्रीमती सोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूजी पत्नी श्री छोटूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा पोस्ट कापरेन तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी
3. श्रीमती फूलां बाई पुत्री स्व0 श्री नाथू पत्नी श्री जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतियां पोस्ट भाण्डाहेडा वाया कैथून तहसील दीगोद जिला कोटा
4. अमरलाल आत्मज स्व0 श्री नाथूलाल मानसिक मंदता एवं अनसाउन्ड माईन्ड परसन जरिये संरक्षक माता स्वयं श्रीमती केसर बाई (रेस्पो0 नं0 5) पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट धाकड खेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. श्रीमती कैसर बाई पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा पोस्ट धाकड खेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला क़ोटा
7. ग्राम पंचायत धाकडखेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इन्तकाल नं0 94 दिनांक 30.03.2007 ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा फोती नामान्तरकरण खोतेदार मृतक नाथू जी मीणा उर्फ नाथूलाल आत्मज श्री धन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

निर्णय

दिनांक–21.01.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा में खाता संख्या नया 16 में 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि खातेदार नाथूलाल जी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार नाथूजी की मृत्यु हो जाने पर मुताबिक सजरा, रिपोर्ट पटवारी जांच आई0एल0आर के ग्राम पंचायत धाकड़ खेड़ी द्वारा मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 30.03.2007 अपीलांटगण एवं रेस्पो0 नं0 4 व 5 के साथ साथ नाथूलाल जी की पुत्रियां रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 के नाम समभाग से तस्दीक किया गया है ।
2. उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 94 आदेश दिनांक 30.03.2007 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 26.05.2022 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के के साथ जरिये अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता के पेश की है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत धाकडखेडी ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलान्ट नं0 1 के पिता व अपीलान्ट नं0 2 श्री मती धनकंवर पत्नी श्री महावीर जी के ससुर एवं अपीलान्ट नं0 3 पवन के दादाजी श्री नाथू जी उर्फ श्री नाथूलाल जाति से मीणा थे, खातेदार नाथूजी की दिनेांक 5.3.2006 को हो मृत्यु हो गयी थी । राजस्थान राज्य में मीणा जाति एक अनुसूचित जन जाति है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है । ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत एवं उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है मृतक खातेदार की पत्नि को केवल सीमित अधिकार प्राप्त होते है अर्थात ताजिन्दगी सम्पति के उपयोग व उपभोग का अधिकार प्राप्त है । इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है जो निरस्त योग्य है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री ललित कुमार नागर का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नं0 6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पो0 नं0 7 ग्राम पंचायत धाकडखेडी ने अपीलांट नं0 1 भंवरलाल, अपीलांट नं0 2 के पति व अपीलांट नं0 3 के पिता महावीर को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही उत्तराधिकार एवं कब्जे के सम्बन्ध में समुचित रूप से जांच किये बिना ही खातेदार मृतक श्री नाथू जी मीणा का फोती नामान्तरकरण उनके पुत्रों अपीलांट नं0 1 भंवरलाल अपीलांट नं0 2 के पति व अपीलांट नं0 3 के पिता महावीर, रेस्पो0 नं0 4 अमरलाल, रेस्पो0 नं0 5 केसर बाई (विधवा पत्नी स्व0 नाथूजी)के साथ साथ उनकी पुत्रियों रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 के पक्ष में समभाग से सर्वथा गैर कानूनी रूप से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ ग्राम पंचायत धाकडखेडी ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलान्ट नं0 1 के पिता व अपीलान्ट नं0 2 श्री मती धनकंवर पत्नी श्री महावीर जी के ससुर एवं अपीलान्ट नं0 3 पवन के दादाजी श्री नाथू जी उर्फ श्री नाथूलाल जाति से मीणा थे, खातेदार नाथूजी की दिनेांक 5.3.2006 को हो मृत्यु हो गयी थी । राजस्थान राज्य में मीणा जाति एक अनुसूचित जन जाति है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है । ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत एवं उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है मृतक खातेदार की पत्नि को केवल सीमित अधिकार प्राप्त होते है अर्थात ताजिन्दगी सम्पति के उपयोग व उपभोग का अधिकार प्राप्त है । इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिनाही अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलांटान एवं रेस्पो0 नं0 4 व 5 के अधिकार पूर्ववत विद्यमान रहते है । अधीनस्थ न्यायालय को ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के

अनुसार मृतक खातेदार श्री नाथू जी मीणा का फोती नामान्तरकरण उनके तीनों पुत्रों भंवरलाल, महावीर, अमरलाल एवं विधवा पत्नी श्रीमती केसर बाई के पक्ष में समभाग से अर्थात 1/4, 1/4 हिस्सानुसार तस्दीक फरमाना चाहिये था । खातेदार नाथूजी के पुत्र महावीर की सन 2021 में मृत्यु हो गयी थी । अपीलान्ट नं0 2 व 3 क्रमशः उसकी पत्नी व पुत्र होने से उसके उत्तराधिकारी है तथा महावीर जी के हिस्से की भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है । रेस्पो0 नं0 4 अमरलाल मानसिक रूप से मंदबुद्वि, अनसाउन्ड माइन्ड का व्यक्ति है जिसके वौद्विक विकास में कमी है उसमें सोचने समझने की कतई शक्ति नहीं है, वह अपना भला वुरा नहीं समझता है । रेस्पो0 नं0 4 रेस्पो0 नं0 5 का पुत्र है । रेस्पो0 नं0 5 रेस्पो0 नं0 4 की माता है । रेस्पो0 नं0 5 रेस्पो0 नं0 4 की माता होने से उसकी प्राकृतिक संरक्षक है । रेस्पो0 नं0 4 को जरिये संरक्षक माता रेस्पो0 नं0 5 अपील हाजा में पक्षकार वनाया गया है । सरपंच ग्राम पंचायत धाकडखेडी को नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं है । इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । इस आधार पर उक्त नामान्तकरण सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । मियाद के विन्दु के सम्वन्ध में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण अपीलांटान को सूचना दिये विना ही उनकी उपस्थिति में पारित किया गया था । जिसकी प्रथम जानकारी दिनांक 27.4.2022 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त फोती नामान्तरकरण के वारे में वतलाने पर हुई, जानकारी होने पर दिनांक 17.5.2022 को नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन पेश करने पर दिनांक 19.5.2022 को नकल प्राप्त हुई । सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 27.4.2022 से नामान्तरकरण जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन फरमायी जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमावी जावें । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर फोती नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 30.3.2007 ग्राम कंवरपुरा निरस्त फरमया जावें तथा मृतक खातेदार नाथूजी मीणा का फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट नं0 1 लगायत 3, रेस्पो0 नं0 4 व 5 के पक्ष में समभाग से तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावें । वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये–

मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में

- 2025(2) RRT 904 – Case ought to have been decide on merits instead of on Revision allowed
- 1998 RRD 3191-Limitation act sec.5 Dismissal of apeal on ground of limitation without lookong into merits of the case efforts should be made to decide apeals on merits.
- 1998 RBJ 43- Before mutation of land of deceased khatedar, opportunity of hearing should be provided to all the legal hears.
- 2006 RBJ 796 sec.5 Limitation act when substantial question of law involved in apeal, delay condoned.
- 2023(2) RRT 1241, 2018-19RRT (supp.)145 - order which is void ab initio can be challenged at any time
- 2024(1) DNJ (Rae.)55-mutation relating to succession should be decided on merits.

मीणा जाति के सम्बन्ध में–

- 2025 Law Finder Decided on 8-10-2025,
- 2013(1)RRT137,
- RRT2024(2) 887, 2021(1) RRT 705 (H.C.), 2024(1) RRT 73, -Under old Hindu law in meena commonity the daughters wer having no right in the property

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 एल आरएक्ट के तहत फौती नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 30.3.2007 वाके ग्राम कंवरपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के विरूद्व अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है जो मेन्टेनेबल नहीं है । चूंकि ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई की अधिकारिता जिला कलक्टर को न होकर उपखण्ड अधिकारी कोटा को होने से अपील माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 30.3.2007 ग्राम पंचायत कंवरपुरा के विरूद्व अपील अपलांट द्वारा 15 वर्ष बाद दिनांक 31.5.2022 को प्रस्तुत की है और 15 वर्ष की लम्बी अवधि की देरी को माफ किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें अपील के अवधि बाधित होने का कारण नामान्तरकरण संख्या 94 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.4.2022 को पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण के बारे में बतलाये जाने पर होना लिखा है उसके बाद नामान्तकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 27.4.2022 को होना लिखा गया है जो असत्य व बनावटी कारण बताया गया है चूंकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट के पिता नाथूलाल के स्वर्गवास के बाद फौती नामान्तरकरण उनके तीनों पुत्र भंवरलाल, महावीर व अमरलाल तथा तीनों पुत्रियां मोहिनी बाई, फूला बाई व सोहनी बाई, बेवा केसर बाई के पक्ष में प्रत्येक का हिस्सा 1/7 के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है उसके बाद अपीलांट नम्बर 2 व 3 के पति व पिता स्वर्गीय महावीर द्वारा अपना हिस्सा 1/7 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.4.2018 को द्वारकालाल मीणा आत्मज श्री गजानन्द निवासी म0नं0 1–फ–49 विज्ञान नगर, कोटा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कर दिया गया, जिसके आधार पर राजस्व जमाबंदी में खरीददार का नाम दर्ज चला आ रहा है । इस प्रकार वर्ष 2018 में अपीलांट के पिता महावीर को जमीन बेचान करते समय रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के नाम फोती नामान्तकरण स्वीकृत होने की जानकारी हो चुकी थी । वादग्रस्त भूमि जिसके सम्बन्ध में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है का राजस्व रिकार्ड है जो स्वयं अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां लम्बित वाद में प्रस्तुत किया है । उक्त वाद में प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि सम्वत 2064 से 2067 की जमाबंदी में फोती नामान्तरकरण संख्या 94 तस्दीक होने के पूर्व 1,20,000/– की राशि भूमि को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कैथून कोटा के यहां रहन रखकर दिनांक 15.3.2005 को ऋण राशि प्राप्त की गई थी और यह राशि प्रतिवर्ष जमा की जाती है और नाथूलाल जी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त रहन का नोट नाथूलाल जी के वारिसान के नाम दर्ज फौती इंतकाल के समय भी था जो नाथूलजाल जी के वारिसान के नाम के बाद राजस्व रिकार्ड में चला रहा है । इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से रही है । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 15 वर्ष तक अपने मालिकाना स्वामित्व व खातेदारी के राजस्व रिकार्ड को नहीं देखेगा । सर्वप्रथम नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बतलाये जाने पर होना बताते है परंतु हल्का पटवारी द्वारा किस कारण से नामान्तरकरण की जानकारी दी यह प्रार्थना पत्र में नहीं बतया और ना ही हल्का पटवारी का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सकें कि अपीलांट ने फौती नामान्तरकरण के बारे में बताया । हल्का पटवारी के सम्बन्ध में लिखे गये तथ्य असत्य व बनावटी है और प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र भी असत्य व बनावटी है । संवत 2072–2075 की जमाबंदी में अपीलांट का हिस्सा 1/7 पूर्ण खाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कैथून कोटा के यहां गिरवी रखकर ऋण राशि अपीलांट द्वारा प्राप्त की हुई है, महावीर पुत्र नाथू के हिस्से पर कोई लोन लिया हुआ नहीं है और ना ही बैंक के यहां पर गिरवी है । इससे स्पष्ट है कि पिता नाथूलाल जी द्वारा पूर्व में बैंक से लिये गये लोन की राशि जमा होने के बाद अपीलांट नम्बर 1 द्वारा नवीन रूप से बैंक से लोन राशि प्राप्त की है और लोन प्राप्त करते समय राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित रूप से अपीलांट द्वारा बैंक के यहां लोन के समय प्रस्तुत किया है ओर राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम पिता नाथूलाल जी के स्वर्गवास के बाद से ही दर्ज चला आ रहा है

। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांट को पूर्व से ही उक्त राजस्व रिकार्ड फौती नामान्तरकरण की जानकारी रही है । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को किसी भी कारण से माफ किया जाना न्यायसंगत नहीं है । इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान एवं राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि को स्थापित कर दिया है–

- 2018(3)DNJ Raj page 930 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील को अपील प्रस्तुत होने में असामान्य विलम्ब को पर्याप्त कारण नहीं होने के आधार पर व देरी का कारण विरोधाभासी होने से और देरी के कारण को गढने का प्रयास किया जाना मानते हुये अपील अपीलांट अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज फरमा दी गई ।
- 2017(1)RRT page 117 में माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि पक्षकार की निष्क्रियता व सुस्ती के लिये उधार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता अन्यथा यह मियाद कानून को निरर्थक व फालतू बनादेगा । विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं मानते हुए अवधि बाधित मानकर खारिज फरमा दिया गया ।
- DNJ 2013 SC page 829, AIR 1998 SC page2276, RRD 2002 page, RRD 1997 page 549, RRD 1994 page, RBJ2001(8)page258, RBJ 2000(7)page 72,RBJ 2000(7) page157, RBJ 2000(7)414, DNJ2014(4)page 1638 इन सम्पूर्ण न्यायिक निर्णयों में अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किया गया है । इस आधार पर उक्त अपील को भी अवधि बाधित मानते हुये खारिज फरमाया जाना न्यायोचित होगा ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा में खाता संख्या नया 16 में 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि खातेदार नाथूलाल जी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार नाथूजी की मृत्यु हो जाने पर मुताबिक सजरा, रिपोर्ट पटवारी जांच आई0एल0आर के ग्राम पंचायत धाकड़खेडी द्वारा मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 30.03.2007 अपीलांटगण एवं रेस्पो0 नं0 4 व 5 के साथ साथ नाथूलाल जी की पुत्रियां रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 के नाम समभाग से तस्दीक किया जाने पर दिनांक 26.05.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, जो लगभग 15 वर्ष बाद विलम्ब से प्रस्तुत की है । अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं नियमों के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि प्रस्तुत अपील ग्राम पंचायत धाकडखेडी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा की है जो सहवन से दर्ज हुई है । ऐसी स्थिति में इस अपील को मियाद एवं मेरिट पर निर्णित न करके श्रवणाधिकार के बिन्दु पर निर्णित करना उचित पाते है ।
7. परिणामतः अपील अपीलांट ग्राम पंचायत धाकड़खेडी तह0 लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के श्रवणाधिकार की होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपील अपीलांट को लौटाने के आदेश दिये जाते है ।
8. निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा